फाइल सं. ए.12018/04/2020-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में मोची ग्रेड II समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में मोची ग्रेड II समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 28/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 28/11/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (मोची ग्रेड-II), भर्ती नियमावली, 2001 का, जहां तक मोची पद का संबंध है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में मोची ग्रेड- II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में मोची ग्रेड- II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
मोची ग्रेड-II ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) ।	लागू नहीं होता ।	18-25 वर्ष के बीच* *अखिल भारतीय खुली स्पर्धा द्वारा भरे जाने पर यह 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष	1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण 2. भारतीय तकनीकी संस्थान अथवा आईटीआई से फुटवेयर तकनीक में सर्टिफिकेट कोर्स 3.संबंधित क्षेत्र में एक साल का अनुभव टिप्पण 1: पूर्ण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के	लागू नहीं ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः रिक्ति एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई है जोकि केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा भरी जाएगी जोकिः (क) नियमित आधार पर समदर्शी पद धारण किए हुए हो और

					अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और	अलावा अन्य अभ्यार्थियों के मामले में योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जाती है। टिप्पण 2: यदि चयन में किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधित योग्यता में छूट दी जाती है।			(ख) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हो।

					लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय (इम्प्लायमेंट एक्सचेंज) के जरिए की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय द्वारा तय की गई उम्मीदवारों के नाम प्रेषित करने की अंतिम तारीख होगी।				

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2.सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और	आवश्यक नहीं ।

	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - सदस्य 4. इस क्षेत्र में केन्द्रीय राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी - सदस्य ।	

फा.सं. ए.12018/04/2020-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार